कार्यवाही

उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

शनिवार, 12 चैत्र, शक संवत्, 1927
(दिनांक : 02 अप्रैल, 2005)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

2. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

3. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

4. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

5. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा असरकारी विधेयक "उत्तरांचल सीमान्त क्षेत्र (विकास एवं प्रबन्ध) विधेयक, 2005" को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

6. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा प्रस्ताव करेंगे कि असरकारी विधेयक "उत्तरांचल सीमान्त क्षेत्र (विकास एवं प्रबन्ध) विधेयक, 2005" को पुरःस्थापित करेंगे।

7. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2005 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी :-

   "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि कुशल प्रशासनिक व्यवस्था हेतु उत्तरांचल में राजस्व पुलिस को सुदृढ़ एवं सक्षम बनाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनायी जाए।"

8. श्री काशी सिंह ऐरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2005 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी :-

   "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों, निगमों, परिषदों एवं अन्य अर्धसरकारी संस्थानों में रिक्तियों को भरने हेतु ली जाने वाली परीक्षा एवं साक्षात्कारों का परीक्षाफल अंक तालिका सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।"

...2/...

9. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2005 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मणझूला, स्वर्गाश्रम तथा ग्राम सभा जौंक को मिलाकर नगर पंचायत बनाया जाए।"

10. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2005 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के भू-गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियन्त्रण पर संस्तुति हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए।"

11. श्रीमती आशा नौटियाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2005 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ की ग्राम पंचायत ऊखीमठ, ग्राम पंचायत अगस्त्यमुनी तथा ग्राम पंचायत गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाया जाए।"

12. निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतिकरण :-

प्रस्तावक का नाम	**संकल्प**
1. श्री किशोर उपाध्याय, श्री बलवीर सिंह नेगी, श्री प्रकाश पन्त।	"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तरांचल राज्य में विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन की कार्यवाही स्थगित की जाय।"
2. श्री प्रीतम सिंह पंवार	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में बन रही जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के भूमिधरों के एक व्यक्ति को परियोजनाओं में अनिवार्य रूप से नौकरी दिए जाने व भूमिधरों के लिए पुनर्वास एवं विस्थापन के लिए अलग से पुनर्वास नीति बनायी जाए।"
3. श्री बिशन सिंह चुफाल	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विकास कार्यो में बाधक बन रहे "वन संरक्षण अधिनियम" का सरलीकरण करने हेतु उचित कार्यवाही सम्पादित की जाय।"

...3/...

13. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 14 जून, 2002 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल की कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तरांचल पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाय।"

14. श्री नारायण पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 5 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में थारू, बुक्सा, बंगाली व अन्य निर्बल निर्धन वर्गो के उत्थान हेतु नीति बनाकर उसे लागू किया जाए।"

15. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार व रघुनाथ मन्दिर घूतू को, चार धाम पद यात्रा मार्ग को चिन्हित कर चार धाम यात्रा की कार्य-योजना से जोड़ा जाए।"

16. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की प्रकिया को सरलीकृत एवं समयबद्ध किया जाए।"

17. श्री काशी सिंह ऐरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 20 जनवरी, 2005 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गुलदार, भालू एवं अन्य जंगली जानवरों द्वारा मारे गये तथा घायल व्यक्तियों को मुआवजे की धनराशि बढ़ाते हुए मानक तय किये जांय और इसे जल्द से जल्द पीड़ित व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु एक समयबद्ध नीति बनाई जाए।"

18. डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 20 जनवरी, 2005 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है ब्लाक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव सीधे जनता द्वारा कराये जांय।"

...4/...

19. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 20 जनवरी, 2005 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में गौ-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध हेतु सरकार कानून बनाए।"

20. श्री गगन सिंह रजवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 20 जनवरी, 2005 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"यह सदन सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तरांचल के पर्वतीय अंचलों में निवास करने वाली लुप्त प्राय वन राजि आदिम जनजाति के संरक्षण, संवर्धन एवं उत्थान की व्यवस्था करें।"

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 02 अप्रैल, 2005

(महेश चन्द्र)
सचिव।